SBI

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

नोटिस

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 66 वीं वार्षिक महासभा **शुक्रवार 25 जून 2021 को अपराह्न 03 बजे स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मादाम कमा रोड, मुंबई - 400 021** में आयोजित की जाएगी। यह बैठक निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फरेन्सिन्ग/अन्य ऑडियो – विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी:

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2021 तक का तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा इस लेखा अवधि की भारतीय स्टेट बैंक के कार्य–प्रणाली और कार्यकलापों पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन–पत्र और लेखों पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना।

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021.
दिनांक: 21.05.2021.

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

अनुलग्नक

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने और दूर से ई–मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 (एमसीए परिपत्र) और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 और सेबी/एचओ/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार शेयरधारक निकाय कॉर्पोरेट होने के कारण वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई–मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु वे (शेयरधारक) पात्र होंगे।
3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना वार्षिक महासभा (एजीएम) में हिस्सा लेने की अनुमति है।
4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।
5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई–मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात 25 जून 2021 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई–मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई–मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय तथा दिनांक 12 मई 2020 के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।
8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई–मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।
9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई–मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई–मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई–मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:–

दूर से ई–मतदान की अवधि 21 जून, 2021 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 24 जून, 2021 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई–मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई–मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई–मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया दो चरण की है, जो नीचे दी गई है:

चरण 1: एनएसडीएल ई–मतदान प्रणाली का उपयोग

क) कागज रहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई–मतदान एवं वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने हेतु लॉगइन करने की विधि

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध की जा रही ई–मतदान प्रणाली पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार कागज रहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) एवं डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के साथ खोले गए अपने डीमेट खाता के जरिए मतदान करने की अनुमति है।

ई–मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने डीमेट खातों में मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आईडी को अद्यतन करें।

कागजरहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगइन की विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक प्रकार	लॉगइन की विधि
एनएनडीएल के साथ कागजरहित रूप/डीमेट में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. यदि आपने **NSDL IDeAS** सुविधा के लिए पहले ही पंजीकरण कराया है, तो कृपया एनडीएलएल की ई–सर्विसेस वेबसाइट को देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर यूआरएलः https://eservices.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउसर को खोले। ई–सर्विसेस का होम पेज खुलते ही, लॉगइन के तहत **"Beneficial Owner"** आईकान पर क्लिक करें, जो **"IDeAS"** के तहत उपलब्ध है। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई–मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई–मतदान सेवाओं के अंतर्गत **"Access to e-Voting"** पर क्लिक करें और आप ई–मतदान पेज को देख पाएंगे। कंपनी का नाम अथवा **ई–मतदान सेवाप्रदाता–एनएसडीएल** के आगे उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूर से ई–मतदान की अवधि अथवा वर्चुअल बैठक एवं बैठक के दौरान मतदान के समय अपना मत देने के लिए एनएसडीएल ई–मतदान वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। 2. यदि यूजर ने **IDeAS** ई–सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो पंजीकरण कराने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **Register Online for IDeAS** पोर्टल अथवा https://eservices.nsdl.com/Secure Web/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें 3. एसएसडीएल की ई–मतदान वेबसाइट को देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउसर को खोले। ई–मतदान का होम पेज खुलते ही, "Login" आईकान पर क्लिक करें, जो शेयरधारक/सदस्य खंड में उपलब्ध है। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास के 16 अंकों का डीमेट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी एवं स्क्रीन पर दर्शाए गए वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) की साइट पर ले जाया जाएगा, जहां आप ई–मतदान पेज को देख सकते हैं। कंपनी का नाम अथवा **ई–मतदान सेवाप्रदाता–एनएसडीएल** के आगे उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूर से ई–मतदान की अवधि अथवा वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने एवं बैठक के दौरान मतदान के समय अपना मत देने के लिए एनएसडीएल ई–मतदान वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. Easi/Easiest का विकल्प चुनने वाले वर्तमान यूजर अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड के जरिए लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई–मतदान पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। Easi/Easiest पर लॉगइन करने के लिए यूजर्स के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com है और New System Myeasi पर क्लिक करें। 2. Easi/Easiest पर सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद यूजर ई–मतदान मेन्यू को देख पाएगा। मेन्यू में ई–मतदान सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल का लिंक होगा। अपना मत देने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि यूजर ने Easi/Easiest के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध होगा। 4. वैकल्पिक रूप से यूजर www.cdslindia.com होम पेज के लिंक पर डीमेट खाता नंबर एवं पैन देकर सीधे ई–मतदान पेज तक पहुँच सकता है। डीमेट खाता में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ई–मेल पर ओटीपी भेजकर सिस्टम द्वारा यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद यूजर को संबद्ध ईएसपी अर्थात एनएसडीएल का लिंक उपलब्ध किया जाएगा, जहां पर ई–मतदान चल रहा है।
वैयक्तिक शेयरधारकों (डीमेट में प्रतिभूतियाँ रखने वाले) के लिए उनके डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के जरिए लॉगइन	आप ई–मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागी के जरिए अपने डीमेट खाता के लॉगइन विवरण इस्तेमाल करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद आप ई–मतदान विकल्प देख पाएंगे। ई–मतदान विकल्प पर क्लिक करने और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जहां आप **ई–मतदान सुविधा** को देख सकते हैं। कंपनी का नाम अथवा **ई–मतदान सेवाप्रदाता–एनएसडीएल** के आगे उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको दूर से ई–मतदान की अवधि में अथवा वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने एवं बैठक के दौरान मतदान के समय अपना मत देने के लिए एनएसडीएल ई–मतदान वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।

महत्वपूर्ण, ध्यान दें: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड रिट्रीव कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID एवं Forget Password विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के जरिए लॉगइन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए हेल्प डेस्क

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल हेल्प डेस्क से evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्रीन नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगइन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्य सीडीएसएल हेल्प डेस्क से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर फोन कर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमेट से भिन्न रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों एवं प्रत्यक्ष रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगइन की विधि

एनएसडीएल की ई–मतदान वेबसाइट पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई–मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई–मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही लॉगइन आइकॉन पर क्लिक करें, जो शेयरहोल्डर्स/मेंबर्स भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
   आपने एनएसडीएल की ई–सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगइन से https://eservices.nsdl.com पर लॉगइन कर सकते हैं। अपने लॉगइन विवरण से एनएसडीएल की ई–सेवाओं पर लॉगइन करते ही ई–मतदान पर क्लिक करें और आप चरण–2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	आपका यूजर आईडी:
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक – आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूजर आईडी होगा IN300***12******
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12**********
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	ईवीईएन संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं:
   क) यदि आपने ई–मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।
   ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई–मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभ में सूचित पासवर्ड' को रिट्रीव करना होगा। 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करते ही आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
   ग) अपने 'प्रारंभिक पासवर्ड' को कैसे रिट्रीव करें?
      (i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमेट खाते में अथवा कंपनी के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई–मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई–मेल को ढूंढ लें। ई–मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। **एनएसडीएल खाते के मामले में आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप में धारित शेयरों के मामले में सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का खाता नंबर अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होगा।**
      (ii) यदि आपका ई–मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे **ई–मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए** दिए गए चरणों का अनुसरण करें।
6. यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:
   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **Forgot User Details/Password?** पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)
   ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध **Physical User Reset Password?** पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)
   ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
   घ) एनएसडीएल की ई–मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।
8. अब आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई–मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2: एसएसडीएल ई–मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना मत दें और महासभा में हिस्सा लें।

एनएसडीएल की ई–मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दें और कैसे महासभा में हिस्सा लें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप उन सभी ईवीईएन कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एवं महासभा एक्टिव स्टेटस में है।
2. उस "ईवीईएन" कंपनी का चयन करें, जिसे आप दूर से ई–मतदान अवधि एवं महासभा के दौरान अपना मत देना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक से जुड़ने के लिए आपको "Join General Meeting" के अंतर्गत दिए गए लिंक "VC/OAVM" पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुल जाने पर अब आप ई–मतदान करने के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें, जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और सबमिट पर क्लिक करें। कहे जाने पर कनफर्म पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि के बाद सफलतापूर्वक मतदान किया गया संदेश दिखाई देगा।
6. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा–निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्केन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को raj.nj4227@gmail.com एवं info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई–मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प **"Forgot User Details/Password?"** अथवा **"Physical User Reset Password?"** का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई–मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव/सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

Contd. 2

SBI

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

नोटिस

-2-

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें। यदि आप डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हो तो, आपसे अनुरोध है कि कृपया चरण 1 (क) अर्थात कागजरहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-मतदान एवं वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने हेतु लॉगइन करने की विधि को देखें और पढ़ें।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्य, यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल से अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध की जा रही ई-मतदान प्रणाली पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के दिनक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार कागजरहित रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) एवं डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) प्रतिभागियों के साथ खोले गए अपने डीमेट खाता के जरिए मतदान करने की अनुमति है।

वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. केवल वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। सदस्य एनएनडीएल ई-मतदान प्रणाली तक पहुँचने के लिए ऊपर दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल रूप से लॉगइन करने के बाद आप कंपनी के नाम के आगे **"Join General meeting"** के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक को देख सकते हैं। आपसे **"Join General meeting"** के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक को क्लिक करने का अनुरोध है। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।
4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।
5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकारण करवा सकते हैं। वे 25 जून 2021 को अपराह्न 3.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलयो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।
6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

मतदान अधिकारों का निर्धारण:- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले अथवा 24.03.2021 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा।

केंद्र सरकार से भिन्न प्रत्येक शेयरधारक उपरोक्त के अनुसार मतदान करने के लिए पात्र है, जो कंपनी के बजाय व्यक्ति के रूप में उपस्थित है या प्रोक्सी के रूप में या जो कंपनी के रूप में पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है या प्रोक्सी के रूप में एक वोट हाथ उठाकर दे सकता है और मतदान होने की स्थिति में बैठक की तिथि से तीन माह की पूर्ण अवधि अर्थात 24.03.21 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति को मतदान होने की स्थिति में बैठक की तिथि से तीन माह की पूर्ण अवधि अर्थात 24.03.2021 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021.
दिनांक: 21.05.2021

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

SBI

कॉर्पोरेट सेंटर, तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह,
2री मंजिल, टॉवर "4", द आर्केड बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.

ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने हेतु बोलियां आमंत्रित की जाएंगी । ऐसी वित्तीय आस्तियों को खरीदने के इच्छुक बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई बैंक के साथ एक गैर-प्रकटीकरण करार निष्पादित करने के पश्चात, यदि पहले निष्पादित नहीं किया हो, बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी वित्तीय आस्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा । बैंक के साथ गैर-प्रकटीकरण करार का निष्पादन करने और अन्य पूछताछ के लिए, ऐसे इच्छुक बैंक/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई ई-मेल आईडी **dgm.sr@sbi.co.in** पर संपर्क कर सकते हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की प्रस्तावित बिक्री के लिए बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है । इनमें ₹409.45 करोड़ की कुल बकाया राशि वाली (02) वित्तीय आस्तियाँ शामिल हैं । पात्र भावि बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ''रुचि की अभिव्यक्ति'' के रूप में अपनी इच्छा को सूचित करें। कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर जाएँ । अधिक जानकारी के लिए SBI In the news > Auction Notice > ARC AND DRT लिंक पर क्लिक करें।

जारीकर्ता
स्थान: मुंबई **उप महाप्रबंधक**
दिनांक: 28-05-2021 **(एआरसी)**

TATA POWER-DDL

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली-110009
फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-ddl.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाईट : www.tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित May 28, 2021

टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिकी	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200001305/21-22 Rate Contract for Supply of 40mm and 100mm GI Pipes	Rs. 0.80 Cr./ Rs. 1.0 L	28.05.2021	18.06.2021;1500 Hrs/ 18.06.2021;1505 Hrs

शुद्धिपत्र/निविदा तिथि विस्तार

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खालने की तिथि
TPDDL/ENGG/ ENQ/200001297/21-22 **Rfx 5000002079** Rate Contract for Supply of 11 KV Metering Cubicle and 11 KV CTPT Units	03.05.2021	01.06.21; 16:00 Hrs/ 01.06.21; 16:30 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001298/21-22 **Rfx. 5000002080** Supply, Installation,Testing and Commissioning of Battery Banks & Chargers for TATA Power DDL	30.04.2021	31.05.21; 16:00 Hrs 31.05.21; 16:30 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001299/21-22 Annual Rate Contract for supply of MCCBs of 8 ratings at TPDDL Site/Store	03.05.2021	03.06.2021;15:00 Hrs/ 03.06.2021; 15:30 Hrs.

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website **www.tatapower-ddl.com**→Vendors Zone→Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

भारत पेट्रोलियम
एकजुटहैंकम लाइए

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : भारत भवन, 4 व 6, करीमभॉय रोड, बेलार्ड एस्टेट, पो. बॉ. नं. 688, मुंबई - 400 001.
CIN: L23220MH1952GOI008931
फोन: 022 2271 3000 / 4000 फ़ैक्स: 2271 3874 ई-मेल: info@bharatpetroleum.in वेबसाइट: www.bharatpetroleum.in

31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए पृथक्कृत और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	पृथक्कृत					समेकित				
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		को समाप्त तिमाही			को समाप्त वर्ष		को समाप्त तिमाही			को समाप्त वर्ष	
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	98,755.62	86,579.95	81,296.23	3,01,864.98	3,27,580.78	99,733.20	87,292.62	81,829.60	3,04,266.28	3,29,797.16
2	अवधि के लिए निवल लाभ [कर, इक्विटी अकाउंटेड निवेशियों के अंश का लाभ/(हानि), अपवादी तथा/या असाधारण मदों से पूर्व]	5,244.49	4,575.71	(988.04)	16,168.67	3,751.87	5,274.62	4,770.62	(1,440.96)	17,491.79	4,143.35
3	इक्विटी अकाउंटेड निवेशियों के अंश का लाभ/(हानि)						435.55	(726.82)	263.04	(325.53)	1,400.67
4	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ, इक्विटी अकाउंटेड निवेशियों के अंश का लाभ/(हानि) सहित (अपवादी तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	12,237.44	4,156.22	(2,068.87)	22,617.58	2,671.04	11,786.08	3,558.51	(2,958.91)	22,432.02	3,651.57
5	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादी तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	11,940.13	2,777.62	(1,361.01)	19,041.67	2,683.19	10,641.94	1,900.63	(1,819.56)	17,319.83	3,665.78
6	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादी तथा/या असाधारण मदों के पश्चात) कंपनी के मालिकों के लिए						10,301.31	1,565.23	(1,847.37)	16,164.98	3,055.36
7	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) हेतु लाभ के साथ]	11,948.32	2,808.64	(1,629.41)	19,110.06	2,185.20	10,860.59	1,303.44	(1,633.92)	16,045.23	4,253.62
8	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) हेतु लाभ के साथ] कंपनी के मालिकों के लिए						10,511.48	969.11	(1,653.69)	14,885.62	3,655.20
9	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	2,092.91	1,966.88	1,966.88	2,092.91	1,966.88	2,092.91	1,966.88	1,966.88	2,092.91	1,966.88
10	अन्य इक्विटी (पुन: मूल्यांकन प्रारक्षित को छोड़कर)				52,451.64	31,247.50					
11	निवल मूल्य(चुकता पूंजी + अन्य इक्विटी(पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितों को छोड़कर)				54,544.55	33,214.38					
12	बकाया मोचनीय प्राथिमानत: शेयर				-	-					
13	चुकता डेट कैपिटल/बकाया डेट				26,314.97	41,875.40					
14	डेट इक्विटी अनुपात				0.48:1	1.26:1					
15	प्रति शेयर अर्जन (₹10/- का प्रत्येक) (प्रति शेयर मूल अर्जन) (वार्षिकीकृत नहीं)	59.77	14.12	(6.92)	96.44	13.64	51.57	7.96	(9.39)	81.87	15.53
16	प्रति शेयर अर्जन (₹10/- का प्रत्येक) (प्रति शेयर तनुकृत अर्जन) (वार्षिकीकृत नहीं)	59.32	14.06	(6.92)	96.12	13.64	51.18	7.93	(9.39)	81.60	15.53
17	डिबेन्चर मोचन प्रारक्षित				1,264.84	1,076.36					
18	डेट सर्विस कवरेज अनुपात (गुणकों की संख्या)				5.46	1.04					
19	ब्याज सर्विस कवरेज अनुपात (गुणकों की संख्या)				21.02	3.96					

टिप्पणियां:

अ) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को बोर्ड द्वारा 26 मई 2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया है.

ब) पूर्व अवधि के आंकड़ों को, जहां आवश्यक था, पुन: समूहीकृत किया गया है.

क) बोर्ड ने 26 मई 2021 को आयोजित अपनी बैठक में **₹ 58 प्रति इक्विटी शेयर** का अंतिम डिविडेंड अनुमोदित किया है (**₹ 35 प्रति इक्विटी शेयर** के एक बार के स्पेशल डिविडेंड सहित)(अंकित मूल्य : 10/प्रति इक्विटी शेयर), जो कि शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है. यह कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष के लिए भुगतान किए गए ₹ 21.00/-प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य : ₹ 10/प्रति इक्विटी शेयर) के अंतरिम डिविडेंड के अतिरिक्त है.

ड) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता की बाध्याताएं तथा अन्य प्रकटीकरणों की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष दर्ज तिमाही और वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत फॉर्मेट का सार है. तिमाही और वर्ष लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा फॉर्मेट कंपनी की वेबसाइट (http://www.bharatpetroleum.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है.

ई) सेबी (सूचीबद्धता की बाध्याताएं तथा अन्य प्रकटीकरणों की अपेक्षाएं) के विनियम 52(4) की उपधाराओं (ए), (बी), (डी) तथा (ई) में संदर्भित मदों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई तथा एनएसई) को उचित प्रकटीकरण किए गए हैं तथा इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स (www.bseindia.com) और (nseindia.com) पर देखा जा सकता है.

कृते तथा वास्ते निदेशक मंडल

हस्ताक्षर/-
एन. विजयगोपाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 03621835

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई 2021

हर एक काम देश के नाम